



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1491 वर्ष 2026

अमित
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	रामेंद्र कुमार शुक्ला
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी, धनंजय अवस्थी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेंद्र कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह तथा प्रतिवादियों की ओर से श्री धनंजय अवस्थी की दलीलें सुनीं।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह जुलाई 2011 से कक्षा-IV कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, लेकिन उसे वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया है जो कि सभाशंकर दुबे बनाम संभागीय वन अधिकारी, (2019) 12 एसएससी 297 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर 18000/- रुपये प्रति माह है।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम प्रतिगद्दी संख्या 3 द्वारा किया जाना चाहिए।
- बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"